एमसीएफ के 5 धंधेबाज कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

जेई और बेलदार मिलकर पूरे नगर निगम को विधायक के नाम पर चला रहे हैं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: फाइल में कथित तौर पर हेराफेरी करने के आरोप में फरीदाबाद नगर निगम के कुछ जेई और बेलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी कर्मचारियों पर रेकॉर्ड में हेराफेरी और जनता को परेशान करने का आरोप है। एक जेई पर भाजपा विधायक सीमा त्रिखा के नाम पर उगाही का भी आरोप है। हाल ही में निगम कमिश्नर के रूप में डीसी यशपाल यादव ने पदभार संभाला है, उन्होंने यहां सख्ती शुरू कर दी है लेकिन इसके बावजूद तमाम कर्मचारी हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। निगम लगभग कंगाली की हालत में है, कुछ कर्मचारी और अधिकारी इसके हालात ठीक करने की बजाय इसी का खून चूस रहे हैं।

डबुआ कॉलोनी में कुकुरमुत्तों की तरह रातोंरात पैदा हुई इंडस्ट्रियल यूनिटों से इन दिनों नगर निगम के कुछ कर्मचारी और अधिकारी दिनर-रात वसूली कर रहे हैं और एमसीएफ के दस्तावेजों में रिस्क लेकर बदलाव करने जैसा काम भी अंजाम दे रहे हैं। डबुआ कॉलोनी में कारट्रेल ट्रेड हब प्रा. लि. की कम्पलीशन से संबंधित फाइल में उस यूनिट को पहले डबुआ में दिखाया गया और उस पर आला अफसरों के हस्ताक्षर करा लिए गए। इस संबंध में जेई सुमेर सिंह को 2 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि उसने बाद में फाइल में डबुआ के आगे एक्सटेंशन शब्द हाथ से जोड़ दिया और फाइल को आगे बढ़ा दिया। एमसीएफ के मुताबिक यह धोखाधड़ी का साफ-साफ मामला है। जेई से तीन दिन में इस नोटिस का जवाब मांगा गया है और ऐसा न करने पर इस पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

एक अन्य मामले में एमसीएफ ने सहायक अभियंता जीतराम, जेई सुमेर सिंह, बेलदार अमरपाल, शीशपाल और राजबीर को तीन फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि ये लोग एनआईटी एक नंबर इलाके में दो घरों पर पहुंचे और वहां हो रहे निर्माण को गिराने की धमकी दी। जिन लोगों के ये घर थे वे अपने सारे दस्तावेज लेकर एमसीएफ के आला अफसरों के पास पहुंचे और सारी हकीकत बयान की। इन पांच कर्मचारियों को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि वहां अगर अवैध निर्माण हो रहा था तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने किस अधिकारी से पूछकर मौका मुआयना किया और आम जनता को निर्माण को गिराने की धमकी दी। इस मामले में भी तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

विधायक के नाम पर उगाही

आरोप है कि जेई सुमेर सिंह और बेलदार अमरपाल को बडखल की विधायक सीमा त्रिखा का खुला संरक्षण है। दोनों एमसीएफ के बाकी कर्मचारियों-अधिकारियों को भी सीमा त्रिखा का नाम लेकर धमका देते हैं। जेई सुमेर सिंह लंबे अर्से से एक ही डिवीजन में तैनात है। अधिकारियों ने कई बार उसके तबादले की कोशिश की लेकिन हर बार विधायक के दखल पर तबादला रोक दिया जाता है। चूंकि विधायक को सीएम मनोहर लाल का खास माना जाता है तो अधिकारी भी पीछे हट जाते हैं।

एनआईटी पांच नंबर के पास निसेन हट (एनएच) में सीमा त्रिखा के भाई मनोज उर्फ मन्नू का दफ्तर चलता है, जहां इनका दरबार लगता है और वहां से एमसीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौखिक आदेश दिए जाते हैं। एनआईटी क्षेत्र में आई अवैध निर्माणों की बाढ़ के सारे मामले इसी जगह से तय होते हैं और इनमें इसी जेई और बेलदार की भूमिका होती है। इस संबंध में भाजपा के भी कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऊपर तक शिकायतें की हैं, इन शिकायतों में कहा गया है कि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। जेई और बेलदार मिलकर पूरे एमसीएफ को विधायक सीमा त्रिखा के नाम पर चला रहे हैं। चूंकि सीमा त्रिखा इस समय भाजपा के सबसे मजबूत खेमे में हैं, इसलिए सारा मामला दबकर रह जाता है लेकिन भाजपा के जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

किसानों का चक्का जाम, शामली में धारा 144 तोड़कर महापंचायत

5 फरवरी को हुई शामली महापंचायत का नजारा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: किसानों के चक्का जाम की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। 6 फ़रवरी का चक्का जाम देशव्यापी होगा। इस बीच किसानों ने धारा 144 तोड़कर यूपी के शामली में शुक्रवार को महापंचायत की।

चक्का जाम की पूर्व संध्या पर 5 फ़रवरी को एक्टिविस्ट और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेन्द्र यादव ने चक्का जाम को शांतिपूर्वक सफल बनाने की अपील की है। योगेन्द्र ने कहा कि अभी तक हमारा सारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। सरकार को चाहिए को वह असामाजिक तत्वों पर नज़र रखें ताकि वे किसानों के बीच घुसकर चक्का जाम को नाकाम करने की कोशिश न करें।

सिंघु बॉर्डर, ग़ाज़ीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इन इलाक़ों में इंटरनेट पर रोक पहले की तरह ही क़ायम है।

उधर, यूपी के शामली में शुक्रवार को धारा 144 तोड़कर किसानों ने महापंचायत की। दरअसल, भारतीय किसान यूनियन ने शामली महापंचायत के लिए यूपी सरकार से अनुमति माँगी थी। सरकार ने अनुमति देने की बजाय वहाँ धारा 144 लगा दी। लेकिन शामली और आसपास के इलाक़ों से हज़ारों की संख्या में किसान पहुँच गए। किसान नेताओं ने महापंचायत में कहा कि हमारा चक्का जाम शांतिपूर्ण रहेगा लेकिन सरकार किसी भी तरह की हरकत से बाज आये। हमें योगी सरकार के इरादे अच्छे नहीं। लग रहे हैं।

बता दें कि शामली वही क्षेत्र है जहाँ योगी सरकार ने हिन्दू मुसलमान का खेल खेला था लेकिन उसकी हर चाल असफल हो गई।

झूठे एवं बचकाने आरोप में पकड़ा गया था पत्रकार मनदीप पुनिया को

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: किसान नेताओं की चेतावनी, सोशल मीडिया के दबाव पर आखिरकार युवा पत्रकार मनदीप पुनिया को 2 फरवरी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। हालांकि अदालत ने मनदीप के वकील की गैरमौजूदगी में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कारवां पत्रिका के लिए फ्रीलांस पत्रकार के तौर पर काम कर रहे मनदीप पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सिंघु बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान एक एसएचओ को गाली दी थी। किसी एसएचओ को गाली देने के आरोप में किसी अदालत का पत्रकार को इस तरह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजना, काफी चिंतनीय मामला है।

मनदीप के साथ हुई घटना न सिर्फ पुलिस, प्रशासन, सरकार और अदालत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है बल्कि आजाद भारत में आम नागरिकों के मानवाधिकारों के लिए खतरनाक इशारा करती है।

30 जनवरी की शाम सिंघु बॉर्डर से पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद रविवार को उन्हें तिहाड़ जेल में ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मनदीप के वकील ने कहा कि उनकी तरफ़ से बचाव पक्ष का वकील भी पेश नहीं हुआ था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मनदीप पुनिया के वकील सरीन नावेद का कहना है कि मनदीप को रोहिणी कोर्ट में 2 बजे पेश किया जाना था लेकिन कहा गया कि तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में साढ़े 12 बजे पेश कर रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील को कुछ समय पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। उसका हक़ है कि उसके साथ बचाव पक्ष का वकील हो।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने सोमवार को मनदीप को रिहा किए जाने की मांग की थी। गिल्ड ने कहा था कि मनदीप की गिरफ़्तारी स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सोमवार शाम को सिंघु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेन्स में मनदीप पूनिया का मामला उठाया था। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा था कि पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है।

जब यह मामला देश-विदेश में उछलने लगा तो मंगलवार को सरकार को होश आया। इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम में रोहिणी कोर्ट ने उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया। अदालत ने हैरानी जताई कि इस मामले में पुलिस खुद ही गवाह और पीड़ित है।

मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी से पहले टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी का मामला सामने आया था। अर्णब ने देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी। उसने टीआरपी के लिए रिश्वत दी। उसके पास अथाह बेनामी संपत्ति है, इसके बावजूद पत्रकारिता के नाम पर कलंक अर्णब खुला घूम रहा है और मनदीप पुनिया जैसे पत्रकार गिरफ्तार हो जाते हैं।

कौन है मनदीप पुनिया

मनदीप पूनिया एक फ्रीलांस पत्रकार हैं। उन्होंने 2017-18 में आईआईएमसी से पत्रकारिता की पढ़ाई की। 2018 में मनदीप आईआईएमसी प्रशासन के खिलाफ 'हॉस्टल' की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। तीन दिन तक चली उस भूख हड़ताल के बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और आने वाले बैच के लिए हॉस्टल देना पड़ा। आज उस हॉस्टल में 42 बच्चों को रहने के लिए जगह मिलती है। मनदीप के दोस्त अभिलाष का कहना है कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ। हम दोनों क्लासमेट थे। मनदीप को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। उसे पैसों का मोह नहीं है।

तिहाड़ से निकल कर मनदीप ने जो कहा और लिखा, वो पढ़िए -

मैं अपने उन सभी पत्रकारों, एडिटर गिल्ड, संघर्ष के साथियों, राजनीतिक दलों और नेताओं का शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे साथ खड़े रहे और मेरे रिपोर्टिंग करने के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे.

ईमानदार रिपोर्टिंग की इस वक़्त हमारे देश को बहुत जरूरत है. अफवाहबाजी की सही दवा एक स्वतंत्र प्रेस है. पत्रकारिता कोई संतुलनकारी कार्य नहीं है, खासकर ऐसे समय में, जब सरकार लोगों से कुछ छिपाना चाह रही हो, तब पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाता है. सत्ता को सच का पता होता है, पर वो सच लोगों को पता चलना चाहिए. पत्रकारिता का पेशा, कोई ग्लैमर से भरपूर पेशा नहीं है. ये बड़ा मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है.

मुझे ज़मानत मिली, इसके लिए मैं माननीय अदालत को धन्यवाद कहूंगा, पर क्या मेरी गिरफ़्तारी होनी चाहिए थी? ये जरूरी सवाल है. कप्पन को भी छोड़ा जाना चाहिए, और उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए.

मैं पहले दिन से किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और जिस तरह से सत्तापक्ष की गोद में बैठा मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने में तुला है, उससे बहुत दुख होता है.

एक पत्रकार के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस आंदोलन को सच्चाई और ईमानदारी से रिपोर्ट करूं. मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था. मैं आंदोलन स्थल पर किसानों पर हमला करने में शामिल लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था. गिरफ्तारी से मेरा काम बाधित हुआ और मेरा कीमती समय खराब हुआ.

मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ. पुलिस ने मुझे मेरा काम करने से रोका. यही मेरा अफसोस है. उस हिंसा का नहीं जिसका मैंने सामना किया. इस घटना ने रिपोर्टिंग करने के मेरे संकल्प को मजबूत किया है. ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना सबसे जोखिम भरा, लेकिन पत्रकारिता का सबसे जरूरी हिस्सा है.

खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

महिला जज का तीसरा फ़ैसला

महाराष्ट्र हाईकोर्ट की नागपुर बैन्च की जज पुष्पा गनेडीवाला का अब एक तीसरा फ़ैसला प्रकाश में आया है। उन्होंने एक 17 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दंडित व्यक्ति को यह कहते हुये बरी कर दिया कि पीड़िता का बयान भरोसेमंद नहीं है और अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। पीड़िता दो महिने तक बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी। इससे पहले पोक्सो एक्ट के तहत सजा पाये दो अन्य व्यक्तियों को भी जज साहिबा पोक्सो एक्ट से बाहर करके सजा में छूट दे चुकी है। उन मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाईकोर्ट का नियमित जज बनाने का अपना आदेश वापस ले लिया है। पुष्पा गनेडीवाला बाम्बे हाईकोर्ट की 2018 में एडीशनल जज नियुक्त हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित करने के आदेश पर मुहर लगा दी थी जिसे अब वापिस ले लिया गया है।

यह भी पता चला है कि जज पुष्पा को नियमित करने के वक्त सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जो इनके काम से वाकोफ थे, इस पर गंभीर आपत्ति की थी लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार करके इनको पक्का किया गया था। हो सकता है कि किसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने ये फैसला ले लिया हो। (वैसे नागपुर में ही आरएसएस का भी मुख्यालय है।) लेकिन महिलाओं, विशेषकर बच्चियों, के यौन शोषण के मामले में इतनी संवेदनहीन जज को उनके पद पर बने रहने देना क्या उचित होगा ? पर शायद सही सिफ़ारिश हो तो इस देश में नैतिकता गयी तेल लेने।

मोदी के भाई प्रहलाद का धरना

बुद्धवार को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी वहीं धरने पर बैठ गये। उन्होंने भूख हड़ताल करने की भी धमकी दी। बताया जाता है कि उन्होंने यह कदम अपने समर्थकों की गिरफ़्तारी के विरोध में उठाया। उनके अनुसार 4 और 5 तारीख को सुल्तानपुर और जौन पुर में उनको सम्मानित किया जाना था लेकिन उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मनाने पर प्रहलाद मोदी ने धरना खत्म कर दिया।

एक आदमी के धरने पर बैठने पर योगी सरकार के आला अधिकारी उसकी चिरौरी करने पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ़ लाखों किसान महीनों से धरने पर बैठे हैं उन्हें मनाना तो दूर उन पर डंडे बरसाये जाते हैं। उनको दस-दस लाख रुपये के नोटिस भेजे जाते हैं। क्या भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार यही है ?

डबल इंजन की सरकार

किसान आंदोलन की शुरूआत में बढ-चढ कर बोलने वाले खट्टर, दुष्यंत और अन्य भाजपा जजपा नेता अब चुप्पी साधे बैठे हैं। कृषि बिलों को ठीक ठहराने के लिये कोई जनसभाऐं या रैलियां नहीं, और तो और छब्बीस जनवरी पर राजनेताओं द्वारा झंडा फहराये जाने वाले कोई कार्यक्रम भी नहीं।

मोदी जी हर राज्य चुनाव में विकास के लिये जिस डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं शायद वो यही है। रेल में जब दो इंजन लगाये जाते हैं तो इंजन तो बेशक दो हों पर कंट्रोल एक इंजन के पास ही होता है। दूसरा इंजन तो पहले का गुलाम होता है। शायद हरियाणा सरकार की चुप्पी का यही राज है। गुलाम इंजन अपने आप कुछ थोड़े ही कर सकता है! ऐसा डबल इंजन किस काम का!

अन्तिम मिसरा

बजट में 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को इन्कम टैक्स का रिटर्न भरने से छूट।
-पहली बार मोदी जी ने आडवाणी को कुछ दिया है!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06